श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.06 से 31.12.09

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–

मन्दिर न्यास के पूर्व लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल विभिन्न आडिट पैरों पर की गई कार्रवाई एवं वर्तमान लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के मूल्यांकन एवं अभिलेख के अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि इस सन्दर्भ में आडिट पैरों के निपटारे हेतु विशेष रूचि नहीं ली जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप पुराने आडिट पैरों में शामिल आपत्तियों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। अतः मन्दिर न्यास अध्यक्ष से पुनः अनुरोध है कि इस दिशा में लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निपटारे हेतु सशक्तता के साथ अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों के समयबद्ध निपटारे हेतु मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल विभिन्न आडिट पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.7.87 से 31.3.97

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (ग) (I)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (ग) (II)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत
16	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत
17	पैरा–5 (ठ)	अनिर्णीत

18	पैरा–6	अनिर्णीत
19	पैरा–7	अनिर्णीत
20	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
22	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
23	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
24	पैरा–8 (च)	अनिर्णीत
25	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–9 (ख) (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत
29	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
30	पैरा–9 (ड़)	अनिर्णीत
31	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
32	पैरा–10	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत
36	पैरा–12	अनिर्णीत
37	पैरा–13	अनिर्णीत
38	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
39	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
40	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.01 से 31.12.2002

1	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ड़)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा–5	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–7	अनिर्णीत

11	पैरा—8	अनिर्णीत
12	पैरा—9	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा—10 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा—11	अनिर्णीत
16	पैरा—12	अनिर्णीत
17	पैरा—13	अनिर्णीत
18	पैरा—14	अनिर्णीत
19	पैरा—15	अनिर्णीत
20	पैरा—16	अनिर्णीत
21	पैरा—17 (क)	अनिर्णीत
22	पैरा—17 (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा—18 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा—18 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा—19	अनिर्णीत
27	पैरा—20 (क)	अनिर्णीत
28	पैरा—20 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा—20 (ग)	अनिर्णीत
30	पैरा—20 (घ)	अनिर्णीत
31	पैरा—20 (ड़)	अनिर्णीत
32	पैरा—20 (च)	अनिर्णीत
33	पैरा—20 (ज)	अनिर्णीत
34	पैरा—20 (झ) (1)	अनिर्णीत
35	पैरा—20 (झ) (2)	अनिर्णीत
36	पैरा—20 (ञ)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04

1	पैरा—3	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (ड़)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (च)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (छ)	अनिर्णीत

8	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत
11	पैरा–5	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (ड़)	अनिर्णीत
16	पैरा–7	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–12	अनिर्णीत
24	पैरा–14	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (ड़)	अनिर्णीत
30	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–15 (छ)	अनिर्णीत
32	पैरा–16	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
38	पैरा–19	अनिर्णीत
39	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत
42	पैरा–21	अनिर्णीत

43	पैरा–22	अनिर्णीत
44	पैरा–23	अनिर्णीत
45	पैरा–24	अनिर्णीत
46	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत
47	पैरा–26 (घ)	अनिर्णीत
48	पैरा–26 (च)	अनिर्णीत
49	पैरा–26 (ज)	अनिर्णीत
50	पैरा–26 (झ)	अनिर्णीत
51	पैरा–27 (क)	अनिर्णीत
52	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05

पैरा–3	निर्णीत	(₹6692/–की राशि जमा कर दी गई है)
पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	(कोई कार्यवाही नहीं की गई है)
पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(इस पैरे को पुनः नवीनतम स्थिति सहित वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है)
पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
पैरा–4 (ड़)	अनिर्णीत	
पैरा–5	अनिर्णीत	
पैरा–6	अनिर्णीत	
पैरा–7	अनिर्णीत	
पैरा–8	निर्णीत	(की गई कार्यवाही एवं भविष्य में संपरीक्षा सुझावानुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप पैरा समाप्त)
पैरा–9	निर्णीत	(प्रतियोगी दर आमन्त्रित करने बारे स्थिति का स्पष्टीकरण एवं भविष्य में संपरीक्षा सुझावानुसार कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप)
पैरा–10	अनिर्णीत	

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान श्री तारा माता मन्दिर न्यास, तारा देवी, जिला शिमला में निम्नलिखित आयुक्त तथा मन्दिर अधिकारी तैनात रहेः—

(1) आयुक्त (मन्दिर)

क्र0सं0	**जिलाधीश/आयुक्त का नाम**	**अवधि**	**टिप्पणी**
1	श्री एस0के0वी0एस0नेगी भा0प्र0से0	17.3.03 से 23.5.06	आयुक्त (मन्दिर) एवम् जिलाधीश, शिमला
2	श्री तरूण कपूर भा0प्र0से0	23.5.06 से 18.1.08	—यथोपरि—
3	श्री जे0एस0 राणा भा0प्र0से0	18.1.08 से 3.3.09	—यथोपरि—
4	श्री एस0एस0राठौर, भा0प्र0से0	3.3.09 से 30.5.09	—यथोपरि—
5	श्री जे0एस0 राणा	30.5.09 से 31.12.09	—यथोपरि—

(2) मन्दिर अधिकारी

1	श्री ज्ञान सागर नेगी	3.3.06 से 16.9.07	मन्दिर अधिकारी एवम तहसीलदार शिमला (ग्रामीण)
2	श्री एम0आर0 शर्मा	12.3.08 से 9.3.09	मन्दिर अधिकारी एवम तहसीलदार शिमला (ग्रामीण)
3	श्री एस0के0 पराशर	9.3.09 से 17.3.09	मन्दिर अधिकारी एवम तहसीलदार शिमला (ग्रामीण)
4	श्रीमति अमृत कुमारी नेगी	6.4.09 से 14.9.09	मन्दिर अधिकारी एवम तहसीलदार शिमला (ग्रामीण)
5	श्री प्रवीण कुमार टॉक	14.9.09 से 31.12.09	मन्दिर अधिकारी एवम तहसीलदार शिमला (ग्रामीण)

भाग—दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा एवं निरीक्षणः—

श्री माता मन्दिर न्यास, तारा देवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.1.2006 से 31.3.2009 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण श्री सीताराम शर्मा, अनुभाग अधिकरी द्वारा दिनांक 8.2.10 से 16.3.10, 28.7.10 से 11.8.10 तथा 25.10.10 से 30.10.10 तक अवकाश के अतिरिक्त मन्दिर परिसर तारा देवी, जिला शिमला में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जॉच हेतु मास 4/06, 11/06, 10/07, 10/07, 10/08, 9/08, 9/09 एवं 12/09 के लेखाओं का चयन क्रमशः आय एवं व्यय की जॉच हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं लेखा परीक्षा के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को न्यास के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः—

श्री तारा माता मन्दिर न्यास, तारा देवी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.1.2006 से 31.12.2009 तक का लेखा परीक्षा शुल्क ₹55490/—आंका गया, जिसे अनुभाग अधिकारी के पत्र दिनांक 30.10.10 द्वारा रेखांकित बैक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को शीध्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

(1) श्री तारा माता मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.1.06 से 31.12.09 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

(1) Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 HP

Financial Position

W.E.F 01-01-2006 to 31-12-2009

(All figures are in rupees)

Sr. No.	Year Period	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing Balance
1	2006	18,96,268.20	26,64,917.50	45,61,185.70	36,17,134.00	9,44,051.70
2	2007	9,44,051.70	37,53,644.00	46,97,695.70	30,50,936.00	16,46,759.70
3	2008	16,46,759.70	36,82,392.00	53,29,151.70	18,48,832.00	34,80,319.70
4	2009	34,80,319.70	46,23,579.25	81,03,898.95	25,81,022.50	55,22,876.45

(2) अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.12.2009 को अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 (HP)

Detail of Closing Balances as on 31.12.2009

(All figures are in rupees)

Sr. No.	**A/C No.**	**Name of Bank**	**closing Balance**	**Remarks**
1	A/C No.-I	H.P. State Co-op Bank Shoghi		
	(i)	Cash at Bank	54,47,924.71	
	(ii)	Cash in hand	-NIL-	
	(iii)	TDR/FDR	-NIL-	
	(iv)	Total	**54,47,924.71**	
2	A/C No. 16555	H.P. State Co-op Bank The Mall Shimla		
	(i)	Cash at Bank	7581.80	
	(ii)	Cash in hand	-NIL-	
	(iii)	TDR/FDR	-NIL-	
	(iv)	Total	7581.80	
			54,55,506.51	

(3) Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi, Shimla-10

Bank Reconciliation Statement as on 31.12.2009

Sr. No.	**Particulars**	**Dr Amount**	**Cr. amount**
(i)	Closing Balance as per Cash Book as on 31.12.2009	55,22,876.45	
	(+)(i)Ch.No.4992029 Dt. 04.03.09 issued but not cleared vide Bank A/C No.-I shoghi	10000.00	
	(ii) Ch No. 4993227Dt. 04.09.09 –Do-	5000.00	
	(iii) Ch. No. 4993859 Dt. 21.12.09 –Do-	63,300.00	
	(iv) Ch No. 4993860 Dt. 21.12.09 –Do-	3000.00	
	Grand Total	**56,04,176.45**	**56,04,176.45**
(ii)	Closing Balance per Passbook as on 31.12.2009		

(A)	H.P. State Co-op Bank A/C No.&I Shoghi	54,47,924.71	
(B)	H.P. State Co-op Bank A/C No.-16555 The Mall Shimla	7,581.80	
	(+) 31.12.2004 तक का Difference Para No. 4 (ख) of Post Audit	1,48,669.94	
	Grand Total	**56,04,176.46**	**56,04,176.45**

गत प्रतिवेदनानुसार दिनांक 31.12.04 को उपरोक्त दर्शाए गए ₹148669.94/– का रोकड़ वही व बैंक लेखों में पाए गए अन्तर बारे आवश्यक मिलान/सामाधान करके वस्तु स्थिति से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि जमाः–

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शोधी स्थित शाखा में बचत बैंक खाता संख्या I में दिनांक 31.12.2009 को ₹54,47,924.71/–तथा इसी बैंक की माल रोड़ शिमला स्थित शाखा में बचत बैंक खाता में दिनांक 31.12.2009 को ₹7481.80/–की राशि जमा थी लेकिन कोई भी सावधि जमा खाता मौजूद नहीं था। अतः मन्दिर प्रशासन इतना अधिक धन बचत बैंक खातों में जमा रखने के स्थान पर बजट प्रावधान के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार राशि बचत बैंक खातों में रखकर शेष राशि को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित करना सुनिश्चित करें ताकि सावधि जमा खातों पर उच्च दर पर ब्याज प्राप्त होने के फलस्वरूप मन्दिर न्यास की आमदनी में वृद्धि हो सके और इस प्रकार ब्याज की आय के रूप में होने वाली हानि से भी मन्दिर न्यास को बचाया जा सके।

6 सोने के भण्डार की स्थिति

Stock position of gold

श्री तारा माता मन्दिर न्यास, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की अवधि 1.1.2006 से 31.12.2009 तक प्राप्त एवं भण्डार में विद्यमान सोने की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(1) Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 HP

Stock Position of Gold

W.E.F 01-01-2006 to 31-12-2009

Sr. No	Period	Opening Balance	Offerings during the year	Total	Utilized during the year	Closing Balance	Remarks
1	2006	605.710 Gms	31.740Gms	637.450 Gms	-NIL-	637.450 gms	
2	2007	637.450 Gms	25.300 Gms	662.750 Gms	-NIL-	662.750 Gms	
3	2008	662.750 Gms	21.515 Gms	684.265 Gms	-NIL-	684.265 Gms	
4	2009	684.265 Gms	68.090 Gms	752.355 Gms	-NIL-	752.355 Gms	

(2) दिनांक 31.12.2009 को मन्दिर न्यास के सोने के भण्डार का अनुरक्षण निम्न प्रकार से किया गया था:–

Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 HP

Detail of closing balance of Gold as on 31.12.2009

Sr. No.	Particulars	Weight in Gms	Remarks
1	Gold Purified melted in the round shape Kept in Locker No. 239 of H.P. State Co-op Bank Ltd. H.O The Mall Shimla	556.650 Gms	
2	Gold unpurified and (un-melted) Kept in temple safe at temple	195.705 Gms	
3	Grand Total	752.355Gms	

7 चॉदी के भण्डार की स्थिति

Stock position of silver

दिनांक 31.12.2009 को श्री तारा मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की चॉदी के भण्डार की स्थिति निम्न प्रकार से थी:–

(1) Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 HP

Stock Position of Silver

W.E.F 01-01-2006 to 31-12-2009

Sr. No.	Period	Opening Balance	Offerings during the year	Total	Utilized during the year	Closing Balance	Remarks
1	2006	Kgs gms mgs 104.622.540	Kgs gms mgs 8. 270. 000	Kgs gms mgs 112.892.540	Kgs gms mgs 20.380.000	Kgs gms mgs 92.512.540	
2	2007	Kgs gms mgs 92.512.540	Kgs gms mgs 6. 689. 500	Kgs gms mgs 99.202.040	-NIL-	Kgs gms mgs 99.202.040	
3	2008	Kgs gms mgs 99.202.040	Kgs gms mgs 6. 749. 000	Kgs gms mgs 105.951.040	-NIL-	Kgs gms mgs 105.951.040	
4	2009	Kgs gms mgs 105.951.040	Kgs gms mgs 8. 336. 760	Kgs gms mgs 114.287.800	-NIL-	Kgs gms mgs 114.287.800	

Note:- On 21.09.2005 Silver weighing about 3 Nos. bricks-20.380.000 Gms unpurified with drawn from the H.P. State Co-op Bank The Mall Shimla Locker No. 239 for making the silver utensils and Mata Ji Shastra by the committee constituted by the chairman Trust.

Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi, Shimla-10 (H.P)

(2) Detail of closing balance of silver as on 31.12.2009

Sr. No.	Particulars	Weight in Gms	Remarks
1	Silver unpurified melted in the Shape of Bricks kept in Locker No. 239 of HP State Co-op Bank Ltd No The Mall Shimla.	74.040.000Gms	
2	(1) Silver Coins in Rupees-19 Nos (2) Silver Coins in 50 Parse –8 Nos (3) Silver Kalash – 35.000 Gms (4) (i) Slver Diyut –2 Nos (ii) Silver Joti –2 Nos (Weighing about 208 (तोला) 8 (रत्ती) also kept in Locker No 239 of HP State Co-op Bank The Mall Shimla.	Kept repentantly	
3	Silver unpurified (un-melted) Kept in Templ safe at Temple.	40.247.800 Gms	
4	**Grand Total**	**114287.800Gms**	

(3) 20.380 Gms जारी चांदी को शुद्धता व उपयोग बारेः–

Silver weighing (about 3 Nos bricks) 20.380.000 Gms unpurified was with-drawn on 21.9.2005 from HP State Co-op Bank The Mall Shimla Locker No. 239 for making of silver utensils and Mata Ji Shaskra by the committee constituted by the chairman Temple Trust. After purification silver balance weighing about 12465.000 Gms as per Certificate attached at Annexure-"A" The detail of utensils and Mata Ji Shaskra made are given below. The entries recorded in the stock register may be got verified during the course of next audit.

Total utensils Shaskra of Mata Ji weighing about 12465.000

क्र0सं0	वस्तु का नाम	वजन	मात्रा
1	लोटा (बड़ा)	1040.000 ग्राम	2 Nos
2	थाली बड़ी	2210.000 ग्राम	2 Nos
3	कटोरी	403.570 ग्राम	4 Nos
4	गिलास	405.290 ग्राम	2 Nos
5	लोटा (छोटा)	531.560 ग्राम	2 Nos
6	थाली छोटी	530.000 ग्राम	1 No
7	ज्योति बड़ी	141.800 ग्राम	1 No

8	ज्योति छोटी	166.670 ग्राम	2 Nos
9	चम्मच बड़ा	147.540 ग्राम	2 Nos
10	चम्मच छोटे	152.180 ग्राम	2 Nos
11	कर्मपात्र	85.820 ग्राम	1 No
12	टष्टा (प्लेट)	370.000 ग्राम	1 No
	कुल योग	**6184.430 ग्राम**	**22 Nos**
13	प्लेट टष्टा छोटी	184.160 ग्राम	2 Nos
14	अरधा	24.620 ग्राम	1 Nos
15	आचमणी	38.800 ग्राम	1 No
16	सतिवा	19.040 ग्राम	1 No
17	पंचदीप	520.000 ग्राम	1 No
18	दरछा बड़ा	415.000 ग्राम	1 No
19	दरछा छोटा	250.040 ग्राम	1 No
20	मोर पंखी मुठठा	425.000 ग्राम	1 No
21	परोक्षणी	176.120 ग्राम	1 No
22	परिणीता	146.100 ग्राम	1 No
23	कर्मपात्र	38.890 ग्राम	1 No
24	कटार with cover	49.240 ग्राम	1 No
25	आचमणी	21.480 ग्राम	2 Nos
26	ढ़ाल महिषासुर	124.620 ग्राम	1 No
27	तलवार खड़ग बड़ा	132.020 ग्राम	1 No
28	शुखा	146.420 ग्राम	1 No
29	राक्षस का मुण्ड	131.700 ग्राम	1 No
30	सरस्वती पुस्तक	215.170 ग्राम	1 No
31	सरस्वती वीणा	510.000 ग्राम	1 No
32	देवी की ढ़ाल	135.280 ग्राम	1 No
33	देवी का खप्पर	89.280 ग्राम	1 No
34	देवी की गदा बड़ी	232.480 ग्राम	1 No
35	देवी की छोटी गदा	79.790 ग्राम	1 No
36	कमंडल	245.510 ग्राम	1 No
	कुल योग	**10535.170 ग्राम**	**48 Nos**
37	फरसा	74.990 ग्राम	1 No
38	काली की गदा	26.000 ग्राम	1 No
39	खन्जर बड़ा	132.980 ग्राम	1 No
40	खन्जर छोटा	41.090 ग्राम	1 No

41	चक्र बड़ा	108.260 ग्राम	1 No
42	चक्र छोटा	103.730 ग्राम	1 No
43	धनुष बाण बड़ा	108.460 ग्राम	1 No
44	धनुष बाण छोटा	52.790 ग्राम	1 No
45	तीर	164.500 ग्राम	3 Nos
46	कमल का फूल	52.310 ग्राम	1 No
47	शंख	192.450 ग्राम	2 Nos
48	त्रिशूल	78.380 ग्राम	1 No
49	बज्र	40.660 ग्राम	1 No
50	खड़ग छोटे	297.620 ग्राम	2 Nos
51	भाले	94.840 ग्राम	2 Nos
	कुल योग	**12104.230 ग्राम**	**68 Nos**
	wastage W/P	**360.770 ग्राम**	
	Grand Total	**12465.000 ग्राम**	

Wastage 0.820+106.000+209.950+44.000=360.770 ग्राम

4 उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य मन्दिर में श्री माता के चांदी के समस्त बर्तनों तथा शस्त्रों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट "B" पर संलग्न की गई है, जिस बारे वर्षानुवर्ष भौतिक सत्यापन करते हुए परिणाम से समय–2 पर अंकेक्षण को अवगत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4) उपरोक्त चॉदी के अन्तिम शेष के अन्तर्गत क्रम संख्या (2) 2 में अलग से वर्णीत 19 चॉदी के रूपये के सिक्के, 8 चॉदी के सिक्के जो 50 पैसे में है, 2 चॉदी की दियूट और 2 चॉदी की ज्योति चॉदी के कलश सहित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की माल रोड़ शिमला स्थित शाखा के लोकर संख्या 239 में रखे गए है, के सन्दर्भ में पुनः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त चॉदी के सामान का वजन करवा कर तथा इसे कि0ग्राम/ग्राम में परिवर्तित करके प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित किया जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

8 (क) ₹20040/–के विज्ञापन व्यय बारेः–

श्री तारा देवी माता मन्दिर न्यास/प्रशासन द्वारा ₹20040/–का व्यय मन्दिर बारे तथा मन्दिर न्यास द्वारा किए जा रहे कार्यों बारे जानकारी हेतु किया गया जिस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित आगे दिया जा रहा है। इस व्यय में निम्न आपत्तियॉ पाई गई जिनका संपरीक्षा अभयुक्तियों के अनुसार ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

1 वाउचर संख्या 99 दिनांक 6.5.06 द्वारा ₹10000/—की राशि रोहड़ू क्रिकेट संघ जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई।

2 वाउचर संख्या 179, दिनांक 16.6.2006 द्वारा ₹5000/—की राशि अध्यक्ष, क्रिकेट क्लब चौपाल, जिला शिमला को सोविनीयर में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रदान की गई।

3 वाउचर संख्या 360 दिनांक 1.11.2006 द्वारा ₹5040.00 की राशि मै0 चोपड़ा पवलीशिंग हाऊस प्राईवेट लि0 जालन्धर को "पंजाब केसरी" अखबार में "सुन्नी, कुफरी एवं ठियोग दशहरा अंक" प्रकाशित करने हेतु प्रदान की गई जिसे 2.10.06 को प्रकाशित किया गया था।

उपरोंक्त कुल ₹20040/—की राशि के खर्चे का श्री तारा देवी मन्दिर न्यास के विकास अथवा विज्ञापन एवं श्रद्धालुओं के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यो से सम्बन्धित कोई औचित्य नहीं बनता। मन्दिर प्रचार की आड़ में यह मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर न्यास के धन का निसन्देह दुरूपयोग ही है क्योंकि जिन संस्थाओं एवं उद्देश्यों के लिए यह धन दिया गया है उनका बजूद नाम मात्र का प्रतीत होता है तथा इस धन का प्रयोग करके मन्दिर प्रचार की अपेक्षा सम्बन्धित संस्थाओं जिन्हें यह धन दिया गया है, का अधिक कल्याण हुआ है। अतः केवल मात्र वैधानिक औपचारिकताओं के नाम पर स्वीकृति प्राप्त कर इस प्रकार धन का दुरूपयोग करने के कारणों का ठोस तथ्यों सहित औचित्य सम्बन्धित Hindu Religion Act की धाराओं एवं प्रावधानों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार के व्यय पर अंकुश लगाया जाए।

(ख) ₹30,000/—की राशि के विज्ञापन व्यय बारेः—

₹30000/—की राशि का व्यय आगामी दिए जा रहे विवरण अनुसार विभिन्न संस्थाओं/संधों द्वारा सोविनीयर प्रकाशन में मन्दिर न्यास के विज्ञापन हेतु प्रदान किया गया जिनमें प्रमुखतयः वाउचर संख्या 41, दिनांक द्वारा ₹10000/—की राशि रोहड़ू क्रिकेट एसोशियसन को सोविनियर में विज्ञापन प्रकाशन हेतु तथा एच0ए0एस0 एशोसियसन शिमला को वाउचर संख्या 91 दिनांक 26.5.07 द्वारा ₹10000/—की राशि सोविनीयर में विज्ञापन प्रकाशनार्थ तथा शिमला समर फैस्टीवल के सोविनीयर में मन्दिर न्यास का प्रकाशन छापने हेतु प्रदान किए गए। इस प्रकार मन्दिर न्यास से ₹30000/—की राशि से अपेक्षाकृत कम दायरे में ख्याति प्राप्त संस्थानों को विज्ञापन देकर धन का दुरूपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के व्यय हेतु किसी प्रकार का बजट प्रावधान भी नहीं रखा गया था जिससे मन्दिर न्यास तथा मन्दिर द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रचार एवं प्रसार की अपेक्षा सम्बन्धित संस्थानों को ही लाभ हुआ है अर्थात यह राशि यदि अपेक्षाकृत अधिक ख्याति प्राप्त एवं राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय अखवार में मन्दिर न्यास के विज्ञापन हेतु खर्च की जाती उस स्थिति में मन्दिर न्यास को अधिक लाभ पहुंचता। अतः इस प्रकार से मन्दिर न्यास के धन का प्रभावशाली संस्थानों को विज्ञापन की आड़ में सहायतार्थ प्रदान करने के कारणों का वित्तीय

दृष्टि से ACT की धाराओं एवं प्रावधानों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अवैध रूप से किए गए सम्पूर्ण व्यय को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार का व्यय बजट व्यवस्था एवम मन्दिर न्यास के हित के दृष्टिगत ही सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास प्राधिकारी मन्दिर न्यास से होने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सतर्कता बरतें जो कि एक सामान्य सूझ बूझ का व्यक्ति अपनी निजी व्यय के सम्बन्ध में करता है ताकि मन्दिर न्यास पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ न पड़े।

उपरोक्त व्यय के दृष्टांत नीचे दिए जा रहे हैः–

Detail of expenditure incurred on advertisements by the Shree TaraDevi Temple Trust, TaraDevi Shimla-10 for the year-2007

Sr. No.	Vr. No.& Date	Amount	To whom Adv. given Bill No. & date	Purpose	Remarks
1	41 05.03.2007	10000	To bill No. 104 Dt. 19.02.2007 of M/S Rohru cricket Association Rohru, Distt. shimla on A/C of souvenir being brought out on a/c of 13th all gndir Maharaja Padam Singh Cricket Association	Advertisements of TaraDevi Temple Trust	vide Ch. No. 134799 Dt. 05.03.2007
2	91 04.04.2007	10000	To bill No. 100 Dt. 24.03.07 of M/S HAS Association Shimla-2 on a/c of Advertisement in souvenir of HAS Association brought out on 14.7.2006	-Do-	Vide Ch. No. 4056162 Dt. 04.04.07
3	96 26.05.2007	10000	To office letter No. DO No. Reader-ADM/SSP/07 280 Dt. 18.04.07 of D.C Shimla on a/c of publication of souvenir on the celebration of Shimla Summer Festival-2007	-Do-	Vide Ch. No. 4056165 Dt. 26.05.2007
	Total Amount	**30000**			

(₹Thirty thousand only)

9 **रसीद संख्या 11557, दिनांक 3.10.08 राशि ₹50/–**

मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से दान प्राप्ति हेतु जारी की जा रही रसीदों की जॉच करते समय पाया गया कि रसीद संख्या 11557 दिनांक 3.10.08 को राशि ₹50/–के लिए जारी की गई थी लेकिन यह राशि काटकर लिखी गई है जबकि इसमें पहले ₹100/–की राशि अंकित की गई थी, जिसकी बिना सक्षम अधिकारी से कटिंग एवं ओवर राईटिंग सत्यापित करवाए बिना सत्यता प्रमाणित नहीं होती। अतः इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में रसीदों में काट छॉट या उपरिलेखन से परिहार किया जाए। यदि ऐसी स्थिति हो तो उस दिशा में इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर ही जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **(i)** रसीद संख्या 1180 1 दिनांक NIL राशि NIL को जारी करके बिना सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाए रद्द किया गया है। असली रसीद मौजूद है लेकिन इसकी दूसरी प्रति मौजूद नहीं पाई गई जिस बारे आगामी अंकेक्षण के समय वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए।

इसी प्रकार रसीद संख्या 11802 दिनांक NIL को भी जारी करने के उपरान्त रदद किया गया है तथा दूसरी प्रति मौजूद नहीं पाई गई। अतः सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाए बगैर रसीदों को रदद करने बारे आगामी अंकेक्षण में स्थिति स्पष्ट करें व अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) रसीदों को जारी करने हेतु विशेष तौर पर Issue Register के माध्यम से प्राधिकृत कर्मचारी अथवा व्यक्ति को रसीदें जारी करने हेतु दी जाए लेकिन रसीदें जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस व्यक्ति/कर्मचारी को यह रसीदें धन राशि अथवा सोना, चॉदी अथवा अन्य दान की सामग्री प्राप्त करने हेतु जारी की जा रही हो वह मन्दिर न्यास के नियमित व जिम्मेवार कार्यकर्त्ता है। प्रायः यह देखने में आया है कि रसीदें मन्दिर कर्मचारी अथवा प्राधिकृत किए बिना ही जारी की जाती रही है। अतः भविष्य में किसी सम्भावित गड़वड़ी को रोकने की दृष्टि से मामला मन्दिर प्रशासन के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

11 **सोने चॉदी की प्राप्ति हेतु उचित व्यवस्था का न होनाः–**

सोना चांदी एवं अन्य कीमती आभूषणो की श्रद्वालुओं द्वारा दी जा रही दान की वस्तुओं को तोलने एवं उनके लिए वास्तविक भार सहित रसीद जारी करने हेतु उमदा किस्म की भार तोलने की मशीन की खरीद करके मन्दिर में किसी प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा उपयोग में लाई जानी सुनिश्चित की जाए और इसके प्रयोग उपरान्त सोना/चांदी अथवा अन्य कीमती आभूषणों की रसीदें दान कर्ताओं को उसी समय जारी की जाए तथा भार तोलते समय दिए गए दान स्वरूप सोने, चांदी अथवा अन्य कीमती आभूषणों का स्वरूप न बदला जाए अर्थात शुद्ध सोने के वजन के लिए नग इत्यादी या मीना व अन्य कशीदाकारी द्वारा

जड़ित सामग्री को असली सोने चांदी से अलग न किया जाए जिससे कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आंशका को खत्म किया जा सके। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार से प्रापत सोने/चांदी व अन्य कीमते आभूषणों का वजन करने हेतु मन्दिर परिसर से दूर अर्थात 4–5 कि0मी0 दूरी पर स्थित शोधी बाजार में जाकर वजन करवाया जाता रहा है और उसके पश्चात ही श्रद्धालुओं को रसीद के जारी की जाती रही है इसके परिणामस्वरूप अधिकतर श्रद्धालु दान सामग्री/आभूषण इत्यादि को मन्दिर में दान करने के उपरान्त रसीद लिए बगैर ही चले जाते है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भविष्य में किसी गड़बड़ी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त प्रकरण में संपरीक्षा सुझावानुसार उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दर्शाई जाए।

12 लेखों का अनुचित रख–रखावः–

मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर न्यास के लेखाओं के वार्षिक लेखें तैयार नहीं किए जाते है जबकि "H.P. Hindu Public Religious Institution and charitable endoment Act 1984" की धारा 23 के अनुसार मन्दिर न्यास के लेखें क्लैन्डर वर्ष के हिसाब से बनाए जाने चाहिए तथा धारा 22 के अनुसार बजट बनाकर बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है जो कि विधि संवत नहीं है। मन्दिर न्यास के धन का उपयोग दिन–प्रतिदिन प्रशासन एवं मन्दिर न्यास द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान करके किया जाता है जो कि "H.P. Hindu Public Religious Institution and charitable endoment Act 1984" की धाराओं के अनुरूप नहीं है। अतः प्रत्येक वर्ष धन खर्च करने से पूर्व उपरोक्त Act की धाराओं के अनुसार बजट बनाकर उसे सक्षम प्राधिकारी से पारित करने के उपरान्त बजट प्रावधानों के अनुसार ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वार्षिक लेखें भी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार तैयार किए जाएं व की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथासमय अवगत किया जाए।

13 वाउचर संख्या 92

राशि ₹24726.00/–

मन्दिर न्यास द्वारा 9.062Kg वजन के बराबर चांदी के बर्तन माता मन्दिर में पूजा अर्चना इत्यादि हेतु बनवाए गए। इसके अतिरिक्त 3.403Kg चांदी के अस्त्र–शस्त्र माता मन्दिर में माता श्रृंगार हेतु बनवाए गए है जिस सन्दर्भ में उपरोक्त राशि बतौर लेबर चार्जिज के सुनार को दी गई। अतः उपरोक्त चांदी के बर्तन एवं अस्त्र–शस्त्र कुल वजन 9.062+3.403Kg=12.456Kgs को मन्दिर भण्डार रजिस्टर में स्थानान्तरित करके पूर्ण विवरण एवं वजन सहित प्रविष्टियॉं की जाए एवं प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा कर सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर को मन्दिर न्यास के मुख्य भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियों सहित आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

14 रोकड़ वही को मन्दिर अधिकारी द्वारा दिनांक Dec. 2007 से 16.3.2008 तक तथा दिनांक 3.5.2009 से 3.4.2010 तक हस्तांक्षरित नहीं किया गया था जो स्वतः ही वित्तीय अनुशासन के प्रतिकूल है। अतः रोकड़ वही को नियमित रूप से आवश्यक सत्यापन न करने बारे अंकेक्षण की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ वही में समाविष्ट समस्त लेंन–देन को अब नियमानुसार हस्ताक्षरित करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए तथा भविष्य में रोकड़ वही को दैनिकवार लिखा एवं हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 **₹300000 के बकाया अग्रिम का समायोजन बारेः–**

मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु समय–2 पर अग्रिम दिए जाते रहे है। संविदाकर (Contractor) श्री ललित चौहान को निम्न विवरणानुसार ₹200000/–C/O कैफेटेरिया निर्माण एवं ₹100000/–मन्दिर गेट निर्माण के लिए प्रदान किया गया है जिनका समायोजन नहीं करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में उपरोक्त धन के समायोजन लेखें प्राप्त करके समर्थित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के समय आवश्यक जॉचं–पड़ताल हेतु प्रस्तुत किए जाएं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त धन का शर्तों के अनुसार ही उपयोग किया गया है।

Shree TaraDevi Temple Trust TaraDevi Shimla-10 (H.P)
outstanding Contractors Advances:-
W.E.F 01.01.2006 to 31.12.09

Sr.No.	Particulars	Name of the Work	Ch.No. & Date	Amount	Remarks
1	Sh. Lalit Chauhan, Govt. Contractor, Dhalli Shimla-12	C/O Cafeteria at TaraDevi Temple complex.	4993856 03.12.09	200000 (Two Lac.only)	
2	Sh. Lalit Chauhan, Govt. Contractor, Dhalli Shimla-12	C/O MainGate of TaraDevi Temple complex.	4993857 03.12.09	100000 (One Lac. only)	

16 मास 12/08

राशि ₹29642.00/–

मै0 अशोक हार्डवेयर कच्ची घाटी शिमला से उनके बिल संख्या 8337, दिनांक 3.2.09 राशि ₹29642.00/–का भुगतान कर 1124sq कोटा स्टोन @₹23p sq+2% vat अर्थात ₹25852+vat 2% 3232 तथा लेबर का खर्च ₹558=29642 की धन राशि खर्च कर उपरोक्त कोटा स्टोन की खरीददारी की गई जिसमें निम्न आपत्तियॉ पाई गई।

(1) यह खरीददारी निविदाएं आमन्त्रित करके की गई है लेकिन निविदा आमन्त्रित करने हेतु किसी प्रकार का NIQ अर्थात "नोटिस इन्वाईटिंग कोटेशन" जारी नहीं किया गया जिससे अधिक से अधिक निविदाएं प्राप्त कर बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता।

(2) उपरोक्त खरीददारी करने हेतु जो भी निविदाएं प्राप्त की गई उनकी कुल संख्या मात्र दो पाई गई जिससे एक अर्थात मै0 अशोक हार्डवेयर कच्चीघाटी शिमला को यह सामग्री सप्लाई करने हेतु निम्नतम मूल्य के आधार पर चुना गया लेकिन नियमों के अनुसार कम से कम तीन निविदाओं का आमत्रित किया जाना आवश्यक था, जिससे बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता।

(3) उक्त खरीददारी करने से पूर्व अपेक्षित कोटा स्टोन के अनुमान सहित सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ति/कार्य आज्ञा किन आंकड़ों पर आधारित है, ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(4) खरीदी गई सामग्री की प्राप्ति पर मापदण्ड़ों एवं गुणवत्ता के आधार पर सही होने सम्बन्धी किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है जिससे खरीदी गई सामग्री का तयशुदा मापदण्डों एवं गुणवता अनुसार होने पर अंदेशा बना रहता है। अतः उपरोक्त कोटा स्टोन की खरीदारी करते समय भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र कि प्राप्त सामग्री खरीददारी करते समय निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवता अनुसार अच्छी हालत में प्राप्त की गई है, नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त खामियों के कारणों के चलते खरीददारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सभी खरीददारी की जाने वाली सामग्री के लिए नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 ₹43427.62/–की अनियमित खरीददारीः–

लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वाउचर संख्या 133, 136, 137 तथा 138 के द्वारा वर्ष 2006 के दौरान ₹43427.'62/–का बिजली शीशे इत्यादि तथा रंग रोगन वार्निश इत्यादि सामान की निविदाऐं प्राप्त किये बिना अनियमित रूप से खरीददारी की गई है। न्यास द्वारा राज्य से बाहर बिना निविदा प्राप्त किए खरीददारी करने बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करने के साथ–2 यह भी स्पष्ट किया जाए कि निम्न वार्णित सामग्री की खरीद स्थानीय प्रतिष्ठित फर्मों से क्यों नहीं की गई।

क्र0सं0	वा0सं0	अवधि	जहां से सामान खरीदा	खरीदी गई सामग्री	राशि
1	133	3/2006	स्लेज विजनेस हाउस सैक्टर–26, चण्डीगढ़ बिल सं0 446676 दिनांक 30.3.06	बिजली का सामान	₹15125
2	136	3/06	लाईट जोन सैक्टर 18–सी चण्ड़ीगढ़ बिल संख्या 2645 दिनांक 22.3.06	बिजली का सामान	₹2205.00
3	137	3/06	वर्मा ग्लास हाउस सैक्टर–15 चण्ड़ीगढ़ बिल संख्या 89696 दिनांक 23.3.06	शीशे इत्यादि की खरीद	₹6568.00
4	138	3/06	रोशन लाल चानन राम सैक्टर 18 सी चण्ड़ीगढ़ बिल संख्या 2250/23.3.06	रंग रोगन वार्निश इत्यादि	₹19529.00
			योग		**₹43427.00**

उपरोक्त विवरण अनुसार नियमों से हटकर राज्य से बाहर की गई इस खरीददारी करने से स्थानीय बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ लिए बिना तथा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर की गई खरीददारी अनियमित प्रतीत होती है। अतः राज्य से बाहर खरीददारी किए जाने के फलस्वरूप राज्य को हुई राजस्व की हानि तथा अप्रत्यक्ष रूप से मन्दिर न्यास को सम्भावित हानि का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 स्टोर स्टॉक एवं भौतिक सत्यापनः–

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भण्डार रजिस्टर शुरू से नियमो के अनुसार नहीं बनाया गया है और न ही कभी इसका भौतिक सत्यापन ही किया गया है जबकि समय–2 पर मन्दिर न्यास द्वारा भण्डार सामग्री Permanent and consumable की खरीददारी की जाती रही है और भण्डार में रखे सामान का चार्ज न्यास सदस्य की बजाए मन्दिर प्रशासन के पास होना नियमों के अनुसार सही है। अतः मन्दिर न्यास के भण्डार अर्थात Stock A/C Permnant & store articles को शुरू से वर्तमान तक update किया जाए

तथा वर्तमान स्थिति तक भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त मन्दिर प्रशासन द्वारा किसी मन्दिर कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को इसका दायित्व सौंपा जाए तथा भविष्य में Store-Articles को भण्डार रजिस्टर में नियमों के अनुसार प्रविष्टियां करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से सत्यापित तथा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन का करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अ्रागामी लेखा परीक्षा के दौरान अवगत करवाया जाए।

19 न्यास कर्मचारियों का कार्यालय में रिकार्ड न होनाः–

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में कार्यरत्त कर्मचारियों एवं पुजारियों की नियुक्ति एवं उससे सम्बन्धित मूल दस्तावेजों की प्रतियां बतौर अभिलेख मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर न्यास कार्यालय में नहीं रखे गए है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार मन्दिर न्यास में कार्यरत्त प्रत्येक कर्मचारी/पुजारी का पूर्ण विवरण सहित अभिलेख मन्दिर न्यास कार्यालय में रखा जाए। इस सन्दर्भ मे की गई कार्यवाही तथा अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा के दौरान अवगत करवाया जाए।

20 सविदाकारों से आयकर का न काटा जानाः–

मन्दिर न्यास/मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर परिसर में चलाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में जब ठेकेदारों को आवश्यक भुगतान किया जाता है उस समय आयकर अर्थात TDS (Tax deduction at source) नहीं काटा जाता। अतः इस सन्दर्भ में विभिन्न ठेकेदारों से निम्न विवरणानुसार आंके गए देय आयकर व बिक्री कर की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में भी सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान करते समय अपेक्षित TDS काटा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकार को राजस्व की हानि न हो।

Sr. No.	Bill No. Vr. No.& Date	Name of the Contractors	Name of the work	Amount	TDS Reqauired to deducted from contractor	Remarks
1	139 01.06.2007	Sh. Pardeep Verma Govt. Contractor Shimla	Providing & laying 3 MM thick Approxbased bituman sheets on the roof of "Dudhadhan Temple"	52277/- (Fifty two thousand two hundred seventy seven only)	(i)IncomeTax2.2%=1150 (ii)sale tax 2%=1046 Total=2196	

2	279 24.09.2008	Sh. Amit Thakur Govt. Contractor R/O Laxman Bhawan vill Rirka Tuti/candi Shimla-4	C/O Water storage Tank near Jugger Temple at shilgaon	137375/- (One Lac. Thirty seven thousand Three hundred seventy five only)	Income Tax 2.2% ie 3022 sale Tax2%= 2748 Total 5770

21 लधु आपत्ति विवरणिकाः—

यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 निष्कर्षः—

मन्दिर प्रशासन द्वारा पुराने आडिट पैरों के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही मन्दिर न्यास कार्यालय के कार्यकलाप HP Hindu Religious Institution Endoment Act 1984 की धाराओं के अधीन प्रावधित अधिनियमों के अनुरूप ही किये जा रहें है, जिस बारे मन्दिर प्रशासन को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 191/97—खण्ड—1—1717—1720
दिनांक 15.03.2012, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, श्री तारा देवी मन्दिर न्यास तारादेवी, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0 171001

3 सचिव भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

4 निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला—9

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.